4006/08 (90)

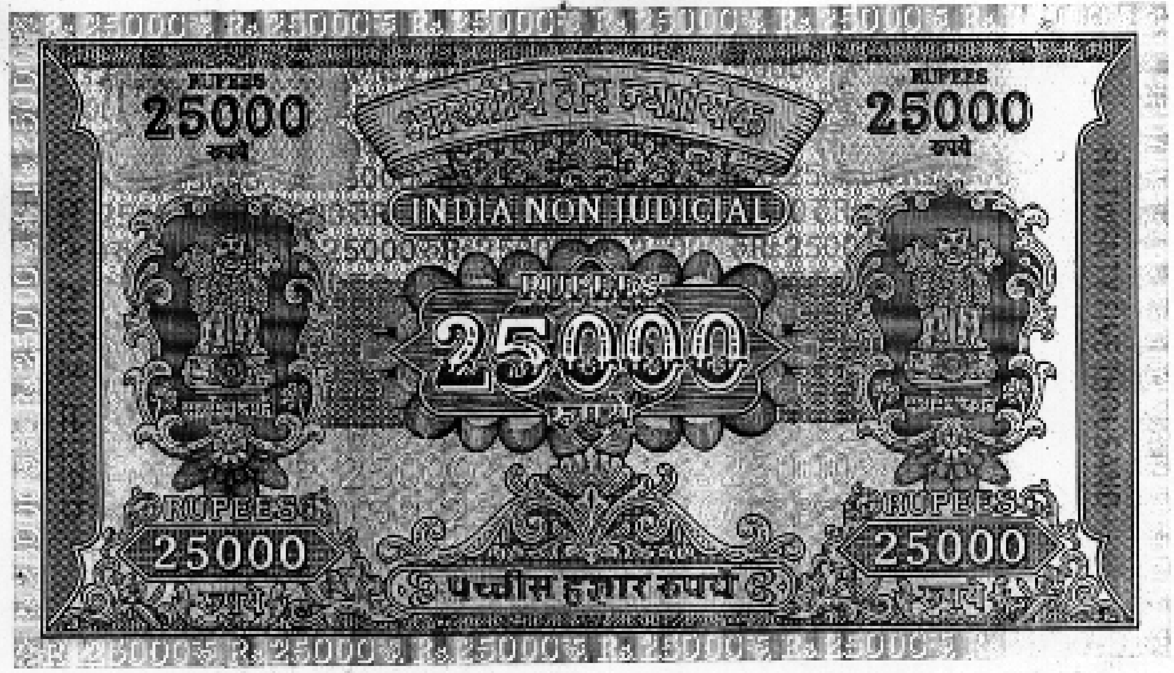

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

642191

-1-

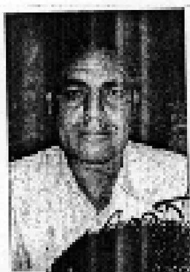

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	—	रु0 13,36,107/—
बाजारु मूल्य	—	रु0 5,03,000/—
अदा किये गये जनरल स्टाम्प	—	रु0 93,600/—

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — अरैल
3. ग्राम — मवैया उपरहार

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

क्रमांक [illegible] तारीख 25 [illegible]

नाम [illegible]

पता [illegible]

[illegible] 1[illegible]/[illegible]/08

उप कोषाधिकारी

करछना, इलाहाबाद

[illegible] 1336/07

कालम क्रम	[illegible]	फीस	कुल योग
5000	20	5020	1000

[illegible]

[illegible] 600/4 [illegible]

19/9/08

[illegible]

उप निबंधक

19/9/08

[illegible] 1336/07 [illegible]

[illegible]

[illegible]

उप निबंधक

19/9/08

[illegible]

(भाग 1)

[illegible] (आवेदक द्वारा भरा जाने वाला)

क्रम संख्या ______

दिनांक (प्रस्तुत करने का दिनांक) ______

आवेदक का नाम ______

पिता ______

व्यवसाय ______

रजिस्ट्रीकरण शुल्क ______

नवीनीकरण शुल्क ______

[illegible] या [illegible] शुल्क ______

अनुज्ञापत्र के [illegible] ______

[illegible] ______

[illegible] ______

[illegible] पता ______

[illegible] ______

[illegible] करने का दिनांक ______

[illegible] ______

[illegible] करने के लिए [illegible]

[illegible] अधिकारी के हस्ताक्षर ______

[illegible] 7-6-2004 [illegible]

[illegible] 13--24,000 [illegible] (आफसेट)।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

490205

4. सम्पत्ति का विवरण — खसरा संख्या 244 रकबा 0.0570 हे0 व 246क रकबा 0.5480 हे0 व खसरा नं0 253 रकबा 0.4110 हे0 कुल योग 1.0160 हे0 का 1/2 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.5080 हे0 स्थित ग्राम—मवैया उपरहार, परगना—अरैल, तहसील—करछना, जिला—इलाहाबाद
5. मापन की इकाई — हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.5080 हे0
7. सड़क की स्थिति — मिर्जापुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक
8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि
9. पेड़ों की स्थिति — नहीं
10. बोरिंग/कुआं अन्य - कुछ भी नहीं है।

SATKAR COLONIZERS PRIVATE ...

Authorised Signatory

उप कोषागार [illegible], इलाहाबाद

दिनांक 19/1/13 द्वारा [illegible]

नाम [illegible]

पता [illegible]

[illegible] 19/1/13

उप कोषाधिकारी

कचहरी, इलाहाबाद

[illegible]

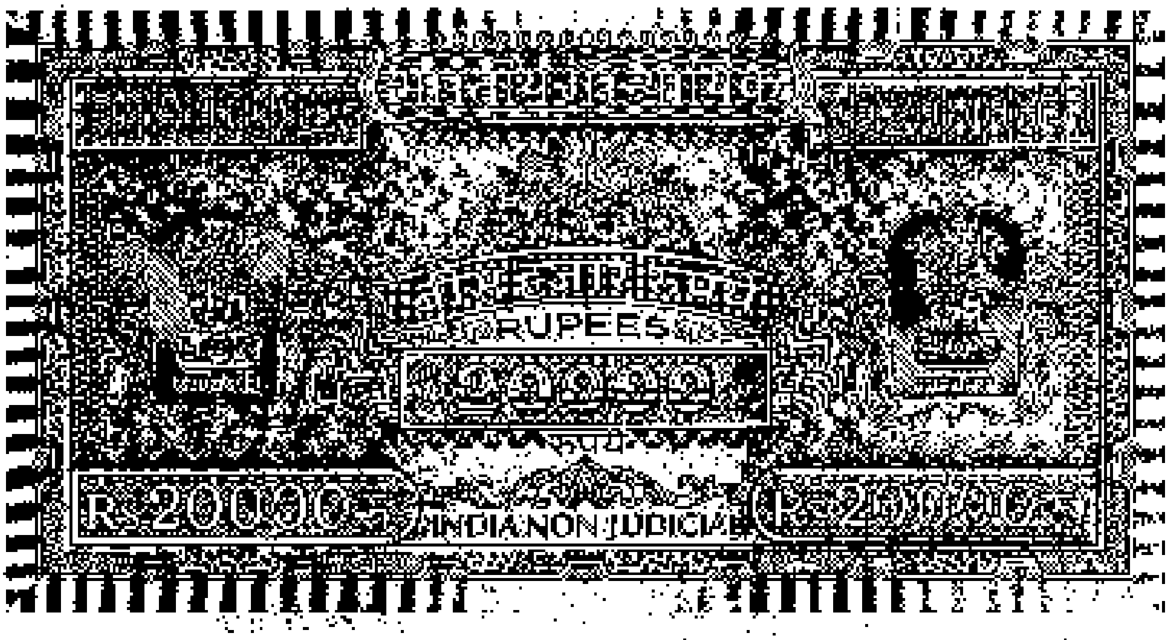

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

487497

-3-

<u>चौहद्दी खसरा नं0 244</u>

उत्तर	: आराजी नं0 242
दक्षिण	: आराजी नं0 246
पूरब	: आराजी नं0 246
पश्चिम	: आराजी नं0 243

<u>चौहद्दी खसरा नं0 246</u> क

उत्तर	: आराजी नं0 241 व 247
दक्षिण	: आराजी नं0 259 व 260
पूरब	: आराजी नं0 256 व 257
पश्चिम	: आराजी नं0 241 व 243 व 245

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप [illegible]

क्रमांक [illegible] दिनांक [illegible]

नाम [illegible]

पता [illegible]

उप कोषाधिकारी

[illegible]

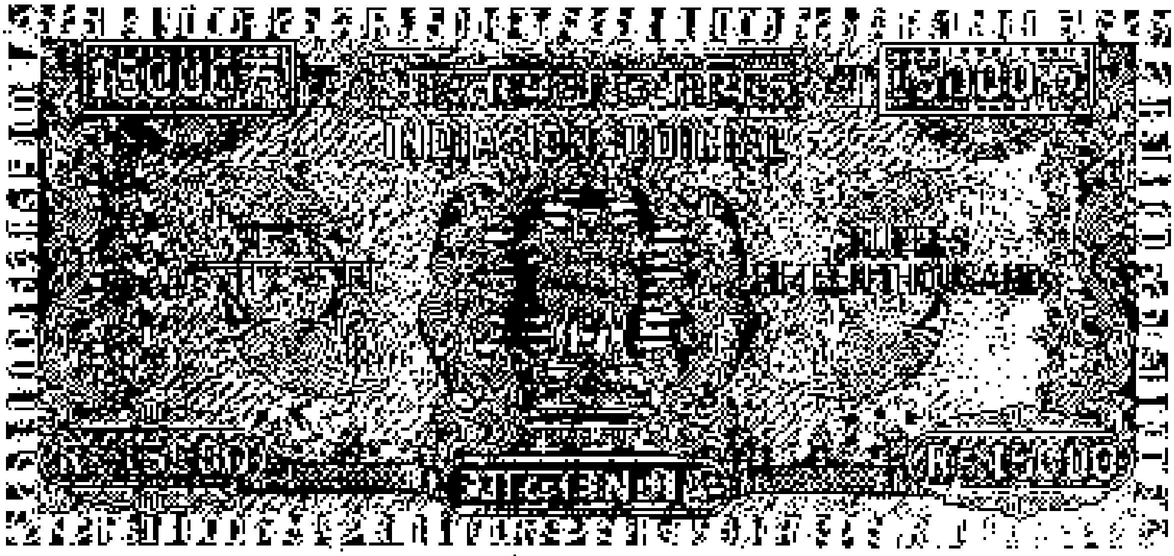

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 155174

-4-

चौहद्दी खसरा नं0 253

उत्तर	: आराजी नं0 251 व 252
दक्षिण	: आराजी नं0 256 व 274 व 279
पूरब	: आराजी नं0 279 व 280
पश्चिम	: आराजी नं0 254

प्रथम पक्ष की संख्या –2	:	द्वितीय पक्ष की संख्या –1
विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
शंकर लाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल ग्राम 500/4 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद जिला इलाहाबाद।	:	सत्कार कोलोनाइजर्स प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी पता– जयहिन्द काम्प्लेक्स द्वितीय तल लालबाग लखनऊ लखनऊ
व्यवसाय–कृषि	:	व्यवसाय– व्यापार/नौकरी

SATKAR COLONIZERS PRIV...

Authorised Signatory

[illegible]

दिनांक 11/3/07 [illegible]

नाम [illegible]

पता [illegible]

[illegible] 11/3/05

[illegible]

10000 रु. Rs.10000

RUPEES TEN THOUSAND

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 109997

19 ..

-5-

यह विक्रय विलेख शंकर लाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल ग्राम 500/4 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद जिला इलाहाबाद जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है। एवं सत्कार कोलोनाइजर्स प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी पता– जयहिन्द काम्प्लेक्स द्वितीय तल लालबाग लखनऊ [illegible] लखनऊ। जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 244 रकबा 0.0570 हे० व 248क रकबा 0.5480 हे० व खसरा नं० 253 रकबा 0.4110 हे० कुल योग 1.0160 हे० का 1/2 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.5080 हे० स्थित ग्राम–मवैया उपरहार, परगना–अरैल, तहसील–[illegible], जिला–इलाहाबाद का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित खतौनी क्रम संख्या 00027 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रुप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में

SATKAR COLONIZERS PRIVATE [illegible]

Authorised Signatory

उप निबन्धक करछना, इलाहाबाद

दिनांक [illegible]

नाम [illegible]

पता [illegible]

[illegible]

उप निबन्धक
करछना, इलाहाबाद

1000 Rs.

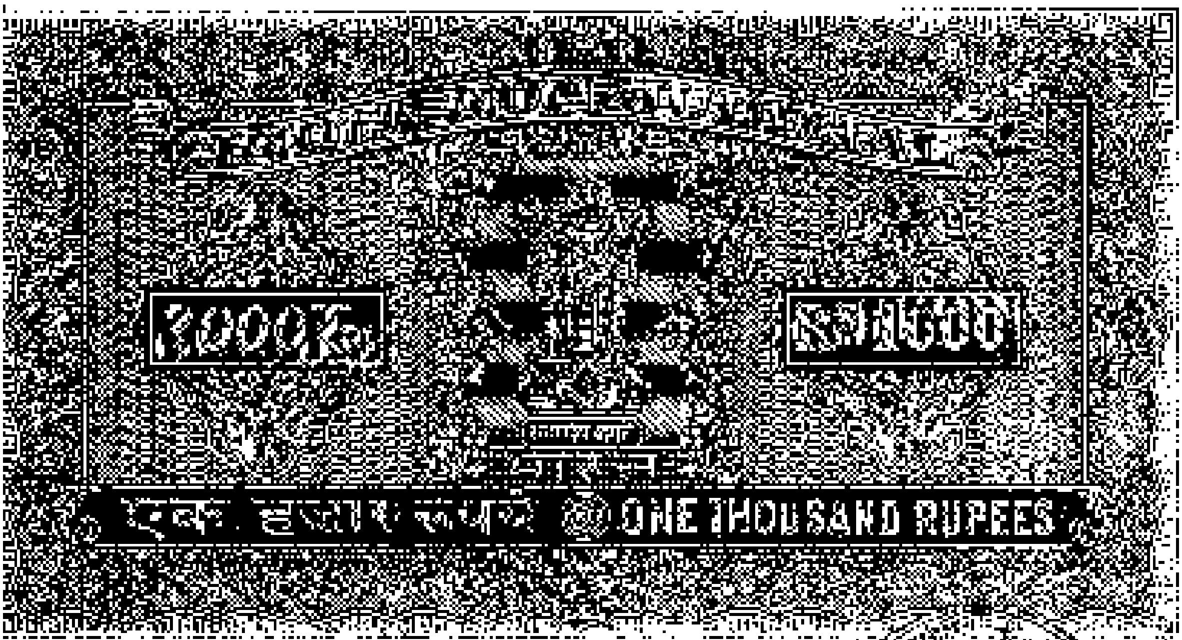

-6-

दर्ज हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख के द्वारा विक्रय कर रहा है, विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि ऐसा कोई ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है एवं विक्रेता को उक्त

BATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

आवेदन दिनांक की तिथि [illegible]

नकल तैयार करने का आदेश [illegible]

स्टाम्प फीस का माँग व पूरा करने [illegible]

[illegible]

नकल की सत्यापित [illegible]

[illegible]

क्रमांक सं० 653

दि० की तारीख 14-[illegible]

[illegible] तहसील [illegible], [illegible]

उत्तर प्रदेश

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

1000 रु.   Rs.1000

एक हजार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के विक्रय के फलस्वरुप कुल विक्रय मूल्य रु0 13,36,107/– (तेरह लाख छत्तीस हजार एक सौ सात रु0 मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखुबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

[illegible]

[illegible] ১৫/৭/০৪

সাব রেজিস্ট্রার

[illegible]

1000 Rs.

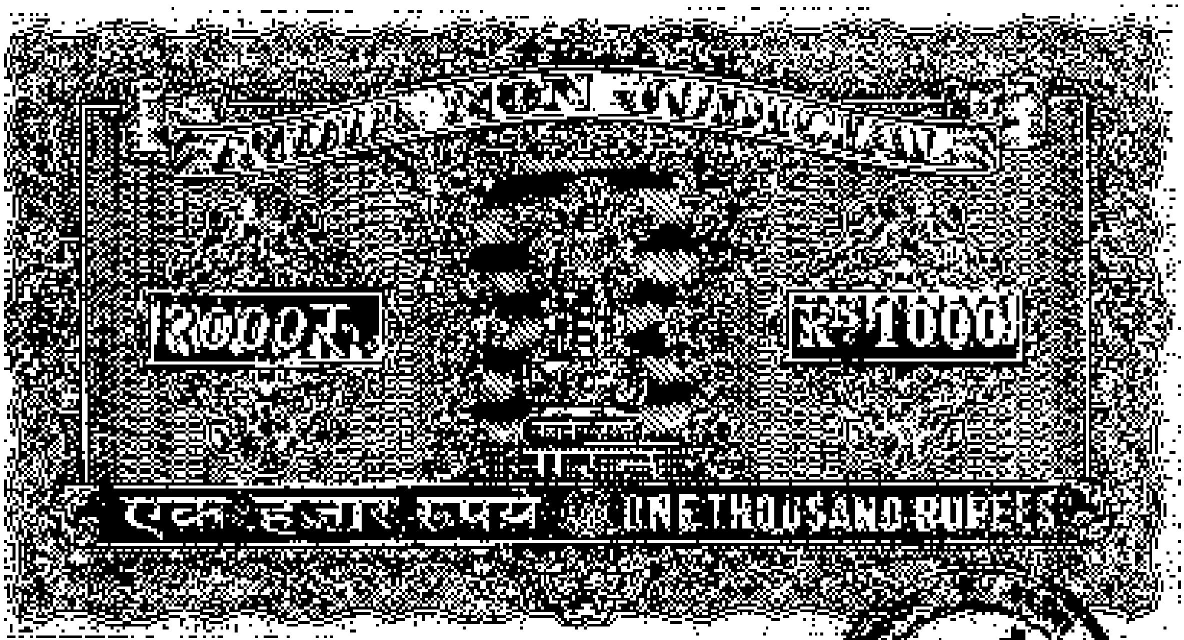

-8-

एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रुप में धारणएवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन, बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई माँग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या किसी कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारणक्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता व उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह अधिकार होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा विक्रेता की चल व अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें उस स्थिति में विक्रेता व उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यहकि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि विकास प्राधिकरण इलाहाबाद तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उ0प्र0 तथा

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয়, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সাব রেজিস্ট্রার

[illegible]

500Rs.

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

₹500

अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

यहकि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। यहकि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यहकि उपरोक्त खसरा नं0 ग्राम—मवैया उपरहार, परगना—अरैल, तहसील—करछना, जिला इलाहाबाद के अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसलिए निर्धारित सर्किल रेट 4,00,000 रु0 प्रति एकड़ की दर से विक्रीत भूमि 0.5080 हे0 की मालियत रु0 5,03000/— होगी।

चूंकि विक्रय मूल्य भूमि की बाजारु मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 93,600/— का स्टाम्प अदा किया

SATKAB COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

वन कोषागार कलक्टरी, इलाहाबाद

दिनांक [illegible] मूल्य [illegible]

नाम [illegible]

पता [illegible]

[illegible]

[illegible]

कोषाधिकारी

कलक्टरी, इलाहाबाद

100 Rs.

ONE HUNDRED RUPEES

जा रहा है। यहकि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि उपयोग के लिए क्रय की जा रही है, भूमि में कोई इमारत आदि नहीं है तथा किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधियाँ नहीं चल रही हैं तथा 200 मीटर के अर्द्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है। विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग, व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि मिर्जापुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जा रहा है। लिहाजा यह विक्रयपत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में स्वस्थ चित्त मन व बगैर किसी जोर दबाव के राजी व खुशी से क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

BATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

[illegible]

দিনাংক [illegible]

নাম [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

परिशिष्ट भुगतान

विक्रेता को रु0 10,00,000/ द्वारा चेक संख्या–013796 दिनांकित 10.06.2008 व रु0 3,36,107/– द्वारा चेक संख्या–018467 दिनांकित 19.11.2008 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नैनी इलाहाबाद क्रेता को प्रदान किया गया है। जिसकी प्राप्ति को विक्रेता स्वीकार करता है। विक्रेता को क्रेता से कोई भी धनराशि लेना शेष नहीं है।

दिनांक – 19/09/08

गवाह

1.

2.

विक्रेता

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

क्रेता

टाइपकर्ता

(करुणाकर सिंह)

मसविदाकर्ता

(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)

(एडवोकेट)

[illegible]

प्रारूप अंगूठा निशानी

नाम [illegible]

पता

बाएं हाथ के अंगुलियों के निशान

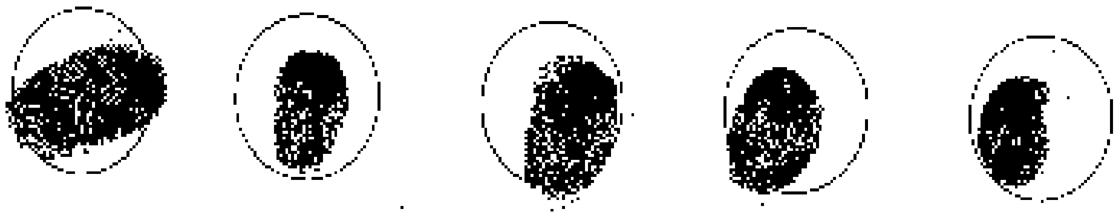

दांए हाथ के अंगुलियों के निशान

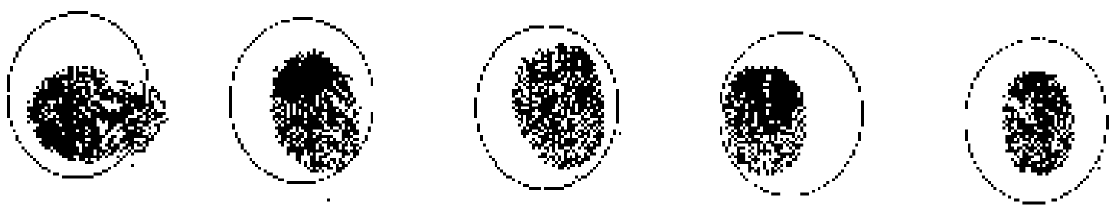

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

नाम [illegible]

पता

बाएं हाथ के अंगुलियों के निशान

दांए हाथ के अंगुलियों के निशान

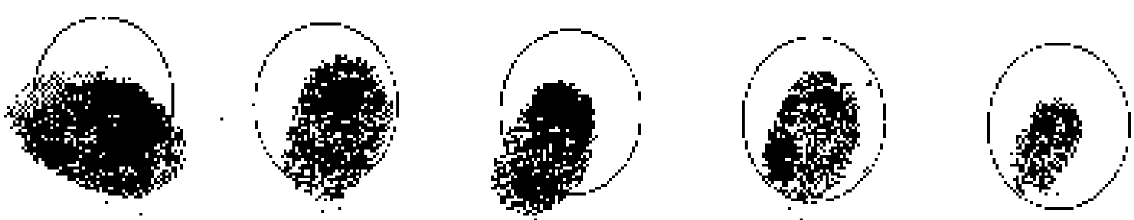

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

૨૫૫, ૨૫૬, ૨૬૩

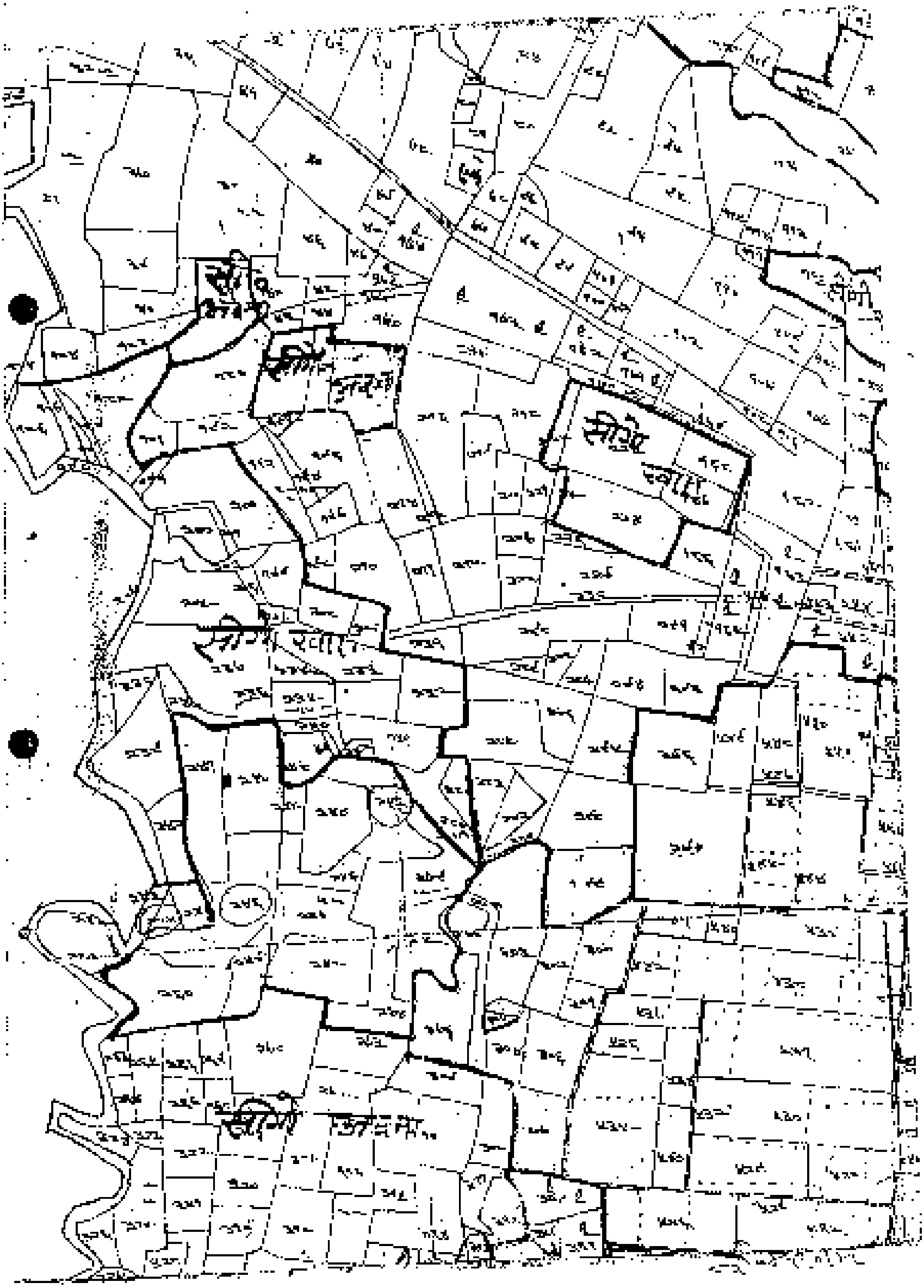

आज दिनांक 11/7/08

बही पुस्तक संख्या 1 जिल्द 1530

पृष्ठ 51/72 पर क्रम संख्या 5604

निबंधित किया गया।

उप निबंधक

कार्यालय-हरिद्वार

41

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 2305018801 2 ग्राम का नाम : मनैथा उपरहार परगना : अरैल तहसील : करछना

जनपद : इलाहाबाद फसली वर्ष : 1415-1420 भाग : 1

खाता खतौनी का संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसकी संक्षिप्त आज्ञा संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1		2		3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो								
00022	अशर्फीलाल	पुल्लीराम	नि. ग्राम	1385फ.	244	0.0570		1415फ.आदेश नाय. करछना वाद सं.1232/22.5.08 आ. सं.244/0.057,246क/0.548,253/0.411 हेक्ट.60ए. से विक्रेता अशर्फीलाल पुत्र पुल्लीराम व गिरजाशंकर पुत्र [illegible] नि.ग्राम का नाम निरस्त करके क्रेता [illegible] स्पोर्टस लोगो रियल प्रा.लि. नि. 32 [illegible] द्वारा अधिकृत शिवकुमार सिंह [illegible] लखनऊ का नाम बतौर सं.भू दर्ज हो। 13.6.08 1416फ.आदेश.तह. करछना वाद सं.2307/26.10.08 आ.सं.244/0.057,246क/0.548,253/0.411 हे.60 ए. से विक्रेता शंकर लाल [illegible] पुत्र [illegible] लाल नि.ग्राम [illegible] का नाम निरस्त करके क्रेता [illegible] कॉलोनाइजर्स प्रा.लि. डेवलपर्स प्रा.लि. अधिकृत हस्ताक्षर अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिव प्रसाद तिवारी नि.[illegible] का नाम बतौर [illegible] सं.भू. दर्ज हो। 21.1.09	
	गिरिजा शंकर	रामकरण	नि. ग्राम	1385फ.	246क	0.5480			
	बदामा	मिठाईलाल	नि. ग्राम	1385फ.	253	0.4110			
	गोरे	मिठाईलाल	नि. ग्राम						
	[illegible]	मिठाईलाल	नि. ग्राम						
	श्रीमती फूलमती	[illegible]	नि. ग्राम						
	शंकर लाल [illegible]	[illegible]	नि. 300/4 [illegible] नैनी						

कुल गाटे : 3 कुल हे : 1.0160 8.35

[illegible] 2010 [illegible]

[illegible]

हस्ताक्षर

[illegible]

[illegible]

[illegible]/2010

F.N. 61

न्यायालय तहसीलदार करछना, इलाहाबाद

वाद संख्या 2307/ वर्ष-2007-08 धारा -34एल0आर0 एक्ट।

मौजा-मवैया उपरहार, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला इलाहाबाद

सत्कार कालोनाईजर्स प्रा0लि0 बनाम शंकर लाल

आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण वाद हल्का लेखपाल की ओर से रिपोर्ट जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 19.09.2003, के आधार पर वाद दर्ज होकर इश्तहार जारी किया गया जो बाद तामील शामिल पत्रावली है किसी कि ओर से कोई आपत्ति नहीं दाखिल की गयी है जिससे विदित होता है कि भूमि सीलिंग नजूल तथा पट्टे की जमीन नहीं है विक्रेता अनु0जाति का व्यक्ति नहीं है। मौके पर क्रेता का कब्जा व दखल है। वर्णित तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं हल्का लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरण रिपोर्ट स्वीकार किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होता है।

अतः आदेश दिया जाता है कि मौजा मवैया उपरहार, परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद खाता संख्या 27 गाटा संख्या 244 रकबा 0.067हे0 व 246क रकबा 0.548हे0 व गाटा संख्या रकबा 252 रकबा 0.411हे0 लगान 60रू0 पर से विक्रेता शंकर लाल जायसवाल पुत्र सिरीधीलाल निवासी ग्राम चकरघुनाथ नैनी परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद का नाम निरस्त करके उसके स्थान पर क्रेता सत्कार कालोनाईजर्स डेवलपर्स प्रा0 लि0 अधिकृत हस्ताक्षर अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिव प्रसाद तिवारी निवासी-जयहिन्द कम्प्लेक्स लालबाग लखनऊ, का नाम जरिए बैनामा दिनांक 19.09.2003 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। परवाना जारी हो बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक

(गम्भीर कुमार मिश्र)
तहसीलदार करछना
इलाहाबाद

विक्रय पत्र सं. 4006 दिनांक : 19.09.08

मैंने भूमि अधिग्रहण अधिकारी, इलाहाबाद की आख्या का पुनः परीक्षण किया, बैनामा पूर्णतः विधि अनुरूप है ।

(एस.के. सोलंकी)
भूमि अधिग्रहण अधिकारी
आर.ई.पी.एल. नोएडा
गौतम्बुद्धनगर

अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारी, इलाहाबाद एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, नोएडा की आख्या का एवं आख्या के साथ संलग्न मूल विक्रय पत्र का विधि संगत अवलोकन/परीक्षण किया गया । मैं भूमि अधिग्रहण अधिकारीगण की आख्या से सहमत हूँ । बैनामा विधिक प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया गया है ।

(रमेन्द्र त्रिपाठी)
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर
आर.ई.पी.एल. नोएडा
गौतमबुद्धनगर

महोदय,

विक्रय पत्र संख्या 4006 दि0 19.09.08

मैंने ग्राम मुबैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद के विक्रय पत्र सं0 4006 दि0 19.09.08 में वर्णित भूमि सं0 244 क्षे0 0.0570, 246क क्षे0 0.5480, 253 क्षे0 0.4110 कुल क्षे0 1.0160 का 1/2 भाग अर्थात 0.5080 हे0 की जांच उपलब्ध राजस्व अभिलेख से करके एक विस्तृत जांच आख्या तैयार किया गया है जो निम्नवत् है।

1.	विक्रेता का नाम	शंकरलाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल नि0 500/4 चक रघुनाथ नैनी।
2.	क्रेता का नाम	सत्कार कॉलोनाइजर प्रा0लि0 अधि0हस्ता0 अरविन्द तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी, जयहिन्द काम्पलेक्स, द्वितीय तल लालबाग, लखनऊ।
3.	विक्रेता एवं क्रेता की जाति	विक्रय पत्र के अनुसार दोनों सामान्य जाति के।
4.	भूमि की प्रकृति	कृषिक
5.	30 वर्ष तक के उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि की स्थिति	जो0च0आ045 खतौनी चकबन्दी के खाता सं0 68 में अंकित भूमि बिन्देश्वरी, शिवमूरत, परसोत्तम, मिश्रीलाल पुत्रगण बिहारी के नाम दर्ज है। सन् 1386 1391 फ0 के खाता सं0 89 में सन्दर्भित भूमि पर उपरोक्तानुसार नाम दर्ज है। सन् 1392–1396 फ0 के खतौनी के खाता सं0 95 में सन्दर्भित भूमि पर बिन्देश्वरी, परसोत्तम, मिश्रीलाल पुत्रगण बिहारी चतुर्भुज, बृजलाल पुत्रगण शिवमूरत के नाम दर्ज है। सन् 1397–1402 फ0 की खतौनी के क्रमशः खाता सं0 15 में कामता प्रसाद, बृजमोहन, प्रभात कुमार पुत्रगण बिन्देश्वरी, मिश्रीलाल पुत्र बिहारी व अशर्फी लाल पुत्र परसोत्तम व गिरजाशंकर पुत्र रतनलाल व चतुर्भुज, बृजलाल पुत्रगण शिवमूरत के नाम दर्ज है। इसी प्रकार सन् 1403–1408 फ0 के खतौनी के खाता सं0 26 में सन्दर्भित भूमि पर उपरोक्तानुसार नाम दर्ज है; किन्तु खाता सं0 164 में अंकित आदेश के अनुसार गाटा सं0 244 क्षे0 0–5–0 (0.0570हे0) से बिन्देश्वरी पुत्र बिहारी का 1/4 अंश नरपैरा शोलिंग में दर्ज होने का आदेश दर्ज है। सन् 1409 1414 फ0 के खतौनी के खाता सं0 27 में सन्दर्भित भूमि पर उदयराज, गोरे, दरोगा पुत्रगण मिश्रीलाल व फूलकली पत्नी पूरी व अशर्फीलाल पुत्र परसोत्तम व गिरजाशंकर पुत्र रतनलाल व चतुर्भुज पुत्र शिवमूरत व शंकरलाल जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल जयसवाल नि0

		दरोगा पुत्रगण मिश्रीलाल व फूलकली पत्नी पुरी व भांकरलाल जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल जयसवाल के नाम दर्ज है। इसमें चतुर्भुज पुत्र शिवमूरत का भी नाम होना चाहिये। उनका नाम अंकित नही है। बैनामा के आधार पर विक्रेता का नाम निरस्त होकर क्रेता सत्यम कालोनाइजर प्रा०लि० अधि०हस्ता० अरविन्द तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी, जयहिन्द काम्पलेक्स, द्वितीय तल लालबाग, लखनऊ का नाम दर्ज हो चुका है।
6.	हस्तान्तरण योग्य है/नही	हस्तान्तरणीय (ट्रांसफरेबल) है।
7.	भारमुक्त प्रमाण पत्र (एनईसी) के अनुसार भूमि की स्थिति	भारमुक्त है।
8.	सीलिंग/ग्राम समाज में होने की स्थिति	किसी में दर्ज नही है।
9.	नामांतरण हो गया है या नही	नामांतरण हुआ है।
10.	अभियुक्ति	उपरोक्त विक्रय पत्र में विक्रेता का नाम खतौनी भूमि की जांच में सही पाई गयी। कोई त्रुटि नही है।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(ए० एन० मिश्रा)
भूमि अधिग्रहण अधिकारी
आर०ई०सी०एल०, इलाहाबाद।